

राजस्थान - सरकार  
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण - पत्र  
क्रमांक 22/1965-66

यह प्रमाणित किया जाता है कि संजय बाल निकेतन समिति, जयपुर जिला जयपुर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 (राजस्थान अधिनियम नं. 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण दिनांक सत्रह मई सन् एक हजार नौ सौ पैंसठ को किया गया था।




संस्था का नाम परिवर्तित कर संजय शिवा समिति, जयपुर जिला जयपुर में रजिस्ट्रीकरण किया गया है। यह परिवर्तन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रार अधिनियम नं. 28, 1958 की धारा 12 के अन्तर्गत किया गया।  
संस्था प्रमाण पत्र में हस्ताक्षरों एवं कार्यालय सील से आज दिनांक उन्नीस, माह मार्च, वर्ष 1981 को जयपुर में जारी किया गया।

(अमोलक चन्द्र जैन)  
रजिस्ट्रार संस्थाएं  
राजस्थान, जयपुर।

यह दुप्लीकेट प्रमाण पत्र मेरे द्वारा आज दिनांक  
23/10/2002 को जारी किया गया।

  
SECRETARY  
APEX INTERNATIONAL SCHOOL  
JAIPUR

  
रजिस्ट्रार संस्थाएं  
जयपुर

  
PRINCIPAL  
APEX INTERNATIONAL SCHOOL  
JAIPUR